फर्द अहकाम

रामजीलाल बनाम सेठू वगैरह

नाम न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी

केस संख्या [illegible] दावा

क्रम संख्या	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२४/०३/२०१७	आज यह दावा कम्प्यूटर रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते तलबी प्रतिवादीगण जारी होकर दिनांक २४/०४/२०१७ को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी	[illegible] 132 [illegible]
	[illegible]	[illegible] राजीनामा [illegible] पेश किया [illegible] [illegible] को पेश है	
	[illegible]	[illegible] पक्षकारान [illegible] पेश हुए। [illegible] [illegible] राजीनामा [illegible] पक्षकारान [illegible] पेश किया [illegible] राजीनामा [illegible] [illegible] पक्षकारान [illegible] तस्दीक [illegible] [illegible] बटवारा [illegible] किया जाकर [illegible] पक्षकारान [illegible] डिक्री जारी की जाकर [illegible] पक्षकारान [illegible] होकर [illegible]	रामजीलाल [illegible] सीताराम [illegible] Identified by [illegible]

(फास्ट ट्रेक) बूंदी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बूंदी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खुडियाला, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी – **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 27/2017
वाद दायरी दिनांक : 24/03/2017
निर्णय दिनांक : 08/06/2017

1. रामजीलाल पुत्र श्री रोडू जाति जाट निवासी गुढासायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

— वादी

बनाम

1. रोडू पुत्र श्री जयराम जाति जाट निवासी गुढासायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. सीताराम पुत्र रोडू जाति जाट निवासी गुढासायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. रमेश पुत्र रोडू जाति जाट निवासी गुढासायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. रामा पत्नि रोडू जाति जाट निवासी गुढासायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री कन्हैयालाल माली**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री प्रहलाद कड़वा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 4

प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

निर्णय दिनांक 08/06/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के आराजी खतौनी संख्या 150 के आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 4.3600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 39 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.1000 हैक्टेयर,

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 477 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.6500 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढासायपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/5, 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक सम्पति हैं। विवादित आराजीयात का पर्चा सम्वत 2011 में वादी के दादा स्व0 जयराम पुत्र रूगनाथ के नाम जारी हुआ जयराम अपने जीवनकाल मे विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त रहे। तथा उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत फौती नामान्तरकरण वादी के पिता रोडू प्रतिवादी संख्या 1 एवं सगी बहन झमकू एवं केलीदेवी के पक्ष मे विरासत फौती नामान्तरकरण जयराम तस्दीक किया गया जिसके पश्चात झमकू देवी एवं केलीदेवी द्वारा सबरजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 12/05/2008 को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग द्वारा अपने समस्त हको व अधिकारो का त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे कर दिया। विवादित आराजीयात पर बाई बर्थ वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानो के अनुसार जन्म से ही हक एवं अधिकार निहित है तथा वादी अपने अधिकारो की खातेदारी घोषणा विधिक रूप से करवाये जाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 से साज कर तथा भुमाफियो के बहकावे में आकर विवादित आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है जिसका कोई विधिक एवं कानूनी हक एवं अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को नही है एवं उक्त कृत्य से प्रतिवादी संख्या 1 को रोका जाना आवश्यक है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को विवादित आराजीयात का 1/5, 1/5 हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 उपुर्यक्त आराजीयात को विक्रय करने हेतु काफी दिनों से चुपचाप कई बार अजनबी व्यक्तियों को लेकर आते रहे है। अभी हाल ही में दिनांक 04/03/2017 को जब वादी विवादित आराजीयात में अपने हिस्से की आराजी की सार–संभाल करने गया तो वहां पर प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात दीगर व्यक्तियों को बता रहे थे, जब वादी ने इस बाबत उनसे पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी को धमकी दी कि वे विवादित आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को बेचान कर वादी को उसके हक व हिस्से से बेदखल करेंगे, जिससे वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस

Scanned by CamScanner

आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित अनुसार विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादी के हिस्से में, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विकय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 08/06/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवम् कैम्प कोर्ट शिविर "न्याय आपके द्वार" मुकाम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खुडियाला में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 व पैरोकार शिविर में उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री प्रहलाद कड़वा एडवोकेट उपस्थित हुये। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा पेश किया। बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार ने जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस मजमा–ए–आम शिविर खुडियाला में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी खाता संख्या 150, नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र राधादेवी, नकल फोटो प्रति हकत्याग तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक पर्चा सम्वत 2011 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का पर्चा जैरामा वल्द रूघनाथ कौम जाट सा0 देह के नाम से जारी होना पाया जाता है, मुताबिक सजरा जैरामा वादी का दादा है, जैरामा के स्वर्गवास के पश्चात विवादित आराजीयात उसके पुत्र अर्थात वादी के पिता रोडू व उसकी सगी बहनों झमकू व केलीदेवी के नाम से दर्ज हो गयी है, रोडू का वादी पुत्र है, इस प्रकार विवादित आराजीयात वादी की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित होती है, चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार आराजीयात में कानूनन वादी का 1/5 हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा प्रस्तुत वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 150 के आराजी खसरा नम्बर 32, 39, 72, 73, 164, 476, 477, 481 वाके ग्राम गुढासहायपुरा, तहसील मौजमाबाद में वादी को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2017 को कैम्प खुडियाला में मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी/सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलेक्टर (जाइंट मुख्यालय) दूदू, जिला जयपुर

श्री शिवलाल चन्द मीणा, आर.ए.एस.

नाम मुद्दई [illegible] पुत्र श्री रामदेव जाति जाट बनाम 1. रामदेव पुत्र श्री जयराम 2. सीताराम पुत्र रामदेव 3. रमेश पुत्र रामदेव 4. रामा पत्नि रामदेव जाति जाट नि. [illegible]

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 87/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कन्हैयालाल माली एड०

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री [illegible] एड०

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद बमुकाबले प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी रकबा नम्बर 150 के आराजी ख.नं. 32, 39, 72, 73, 164, 1[illegible], 476, 477, 481 वाके ग्राम [illegible], तह० मौजमाबाद में वादी को [illegible] हिस्सा का व प्रतिवादी क्र. 1 लगायत 4 को [illegible] का 1/5-1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमें के गय सूद बशरह .... फीसदी ...... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 06 सन् 2017 को

जारी की गई।

सहायक कलेक्टर

दस्तखत (मुख्यालय) दूदू

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner